



2026:AHC: 2487

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19546 वर्ष 2025

रघुवीर प्रसाद शर्मा

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : इरफ़ान अहमद मलिक, मोहम्मद परवेज़

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता वर्तमान रिट याचिका को वापस लेना चाहते हैं, जिसमें प्रार्थना की गई है कि क) 'परमादेश' की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता की पेंशन की गणना 60,400/- रुपये के मूल वेतनमान के आधार पर करने का निर्देश दे; ख) 'परमादेश' की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता को 60,400/- रुपये के मूल वेतन/सैलरी के आधार पर पेंशन देने का निर्देश दे; ग) 'परमादेश' की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता को पेंशन के अंतर की समस्त बकाया राशि उस तिथि से देने का निर्देश दे, जिस तिथि से कम किए गए मूल वेतन/सैलरी पर पेंशन की गणना की गई है; घ) याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए उचित और उपयुक्त समझे, अन्यथा याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी; ड) अंतर्निहित तकनीकी दोष के कारण याचिकाकर्ता को याचिका की लागत प्रदान की जाए तथा नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाए।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान याचिका पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

7 जनवरी, 2026

राजेश

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।